इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अप्रैल 2017 —चैत्र 29, शक 1939

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्र. एफ-15-05-2015-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 1 में, खण्ड (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "आरक्षित" का लोप किया जाए.

2. नियम 2 में, खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ण क) 'पर्यटन वर्ष' से अभिप्रेत है 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होने वाली अवधि."

3. नियम 6 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोडा जाए, अर्थात्:

"(4) मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के भीतर ग्रामों के निवासियों एवं उनके विधिक संव्यवहारों हेतु उनसे मिलने आने वालों को अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता से छूट होगी."

4. नियम 7 में, उप-नियम (1) में,—

(1) सारणी 1 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''सारणी—1

अनुक्रमांक	क्षेत्र का प्रकार	पैदल/साइकिल	दो पहिया वाहन	हल्के मोटरयान (जीप, कार, जिप्सी, अधिकतम 06 व्यक्तियों की बैठक क्षमता सहित)	मिनी बस	सामान्य बस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र	रु. 10	अनुमति नहीं	रु. 100	रु. 250	अनुमति नहीं.
2	मनोरंजन क्षेत्र	रु. 10	रु. 25	रु. 100	रु. 250	रु. 500

(2) सारणी—1 में, टिप्पणी (1) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(1) वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में दो पहिया वाहन तथा सामान्य (स्टैन्डर्ड) बस को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.''.

(3) टिप्पणी (5) का लोप किया जाए, अर्थात्:—

(4) टिप्पणी (6) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(6) प्रवेश अनुज्ञा-पत्र के निरस्त अथवा उपयोग न होने की दशा में, कोई फीस वापसी नहीं की जाएगी.''.

(5) टिप्पणी (6) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी जोडी जाए, अर्थात्:—

''(7) सारणी 1 में ऊपर उल्लेखित दरें राज्य शासन की आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित की जाएंगी.''.

5. (1) नियम 8 में, सारणी—2 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''सारणी—2

अनुक्रमांक	प्रवेश का उद्देश्य	दरें	अभ्युक्तियॉ
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कैम्पिंग	रु. 50	प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि
2.	वाटर क्रूज	रु. 50	प्रति व्यक्ति प्रति राउंड

(2) सारणी—2 में,—टिप्पणी (1) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

(1) सारणी—2 में उल्लेखित दरें राज्य शासन की आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण की जाएगी.

(3) टिप्पणी (2) का लोप किया जाए.

(4) टिप्पणी (4) के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(4) प्रवेश अनुज्ञापत्र में सूचीबद्ध सभी आगन्तुकों को पहचान-पत्र रखने अनिवार्य होगें. यदि समूह में भ्रमण किया जा रहा है तो किसी एक आगन्तुक को पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा. प्रवेश अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जाएगा यदि उसमें उल्लेखित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती.''.

(5) टिप्पणी 8 में, शब्द तथा अंक ''भारतीय आगन्तुकों तथा रुपए 50 विदेशी आगन्तुकों के लिए'', का लोप किया जाए.

(6) टिप्पणी 9 का लोप किया जाए.

(7) टिप्पणी 10 के पश्चात—विद्यमान शीर्षक "वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में निर्बंधन" नियम क्रमांक—9 के रूप में पुर्नक्रमांकित किया जाए.

6. नियम 9 में,—

(1) नियम 9 में, उप-नियम (1) में, शब्द "वानिकी वर्ष" के स्थान पर. शब्द "पर्यटन वर्ष" स्थापित किया जाए.

(2) उप-नियम (2) का लोप किया जाए.

7. नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"10. **आय का उपयोग,**—

(1) मनोरंजन तथा वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र से प्राप्त राजस्व संभागीय वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड के खाते में जमा किया जाएगा. चूंकि वनों तथा वन्यप्राणियों के पकृतवास के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, इस आय का निम्नलिखित प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाएगा:—

(क) मनोरंजन तथा वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के भीतर वनों की सुरक्षा एवं विकास

(ख) मनोरंजन तथा वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में मनोरंजन सुविधाओं का विकास एवं उनका रखरखाव; और

(ग) स्थानीय समुदाय का कल्याण.

(2) उक्त आय के उपयोग हेतु, वनमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता के अधीन अन्तरविभागीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति, गठित की जाएगी.

8. नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"11. **आगन्तुकों के कर्तव्य**—कोई भी व्यक्ति, किसी मनोरंजन या वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र में, किसी वृक्ष, पुल चट्टान, बाढ (फेंसिंग) सीट, सूचना-पटल, कचरा पेटी या अन्य किसी वस्तु अथवा स्थान को न तो नष्ट करेगा, न हानि पहुंचाएगा और न ही उन पर किसी प्रकार के लेख अथवा संकेत चिन्ह लिखकर उन्हें विकृत करेगा.".

No. F-15-05-2015-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Forest (Recreational and Wildlife Experience) Rules, 2015, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In Hindi text, in Rule 1, in clause (b), the word "आरक्षित" in the first line shall be omitted.

2. In Rule 2, after (0), the following clause shall be inserted, namely:—

"(oa) 'Tourism Year' means the period beginning from 1st July and ending on 30th June;".

3. In Rule 6, after sub-rule (3) the following sub-rules shall be added:—

"(4) The residents of the villages located inside recreational and wildlife experience areas and those who come to meet them for legal transactions shall be exempted from the compulsion of entry permit."

4. In Rule 7, in sub-rule (1),—

(1) For Table-1, the Following table shall be substituted, namely:—

TABLE—1

S. No.	Type of Area	On Foot/Cycle	Two Wheeler Vehicles	Light Vehicles (Jeep Car, Gypsy with maximum seating capacity of 6 persons)	Mini Bus	Standard Bus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wildlife Experience Area.	Rs. 10	Not Permitted	Rs. 100	Rs. 250	Not Permitted
2.	Recreational Area	Rs. 10	Rs. 25	Rs. 100	Rs. 250	Rs. 500.''.

(2) In Table—1 for Note (1), the following Note shall be substituted, namely:—

(1) Two Wheeler vehicles and Standard buses shall not be permitted inside wildlife experience area.''

(3) Note (5) shall be omitted.

(4) For Note (6), the following Note shall be substituted, namely:—

"(6) In case of cancellation or non-utilisation of enrty permit, no fee shall be refumded.''—

(5) After Note (6), the folloing Note shall be added, namely:—

"(7) The rates mentioned in Table-1 shall be revised as per the need of the State Government.''.

5. (1) In Rule 8, for Table-2, the following table shall be substituted, namely:—

TABLE—2

S. No.	Purpose of entry	Rates	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Camping	Rs. 50	per person per night
2.	Water Cruise	Rs. 50	per person per round.''.

(2) In Table—2, For Note 1, the following Note shall be substituted, namely:—

"1. The rates mentioned above in Table-2 shall be revised as per need of the State Government.''.

(3) Note 2, shall be omitted.

(4) For Note 4, the following Note shall be substituted, naemly:—

"4. It shall be compulsory to keep the identity proofs of all the visitors listed in the entry permit. If travelling in group, it shall be compulsory to keep the identity proof of any one visitor.Entry permit shall be cancelled if the identities of the persons mentioned in it cannot be ascertained.''.

(5) In Note 8, the words "for Indian Visitors and Rs. 50 Foreigners Visitors'' shall be omitted.

(6) Note 9 shall be omitted.

(7) After Note 10, the existing heading "Residents in a Wildlife Experience Area'' Shall be renumbered as Rule number 9.

6. In rule 9,—

(1) In sub-rule (1), for the words "forestry year'', the words "tourism year'' shall be substituted.

(2) Sub-rule (2) shall be omitted.

7. For Rule 10, the following rule shall be subsituted, namely:—

"10. Use of Income,—

1. The revenue generated from recreational and wildlife experience area shall be deposited in the account of Divisional Forest Officer (Territorial) and Ex-officio Regional Manager, Madhya Pradesh Ecotourism Development Board. Since the conservation of foreststs and wildlife habitats therein requires the active support of the local community, this income shall be utilized for the following purpose:—

(a) Protection and improvement of the forest inside the recreational and wildlife experience area;

(b) Development of recreational facilities in the recreational and wildlife experience area and maintenance thereof; and

(c) Welfare of the local community.

2. For the utilization of above income, Inter-departmental State level Coordination Committee shall be constituted under the Chairmanship of Forest Minister, Madhya Pradesh Government.

8. For fule 11, the following rule shall be substituted namely:—

"11. **Duties of the Visitors.**—"No person shall destroy, damage or deface any writing or signs etc. on any tree, bridge, rock, fence, seat, notice board, trash box or any other article or place, in any recreational or wildlife experience area.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.